

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-18/03/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में ए०एन०एम० स्कूल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा एवं जी०एन०एम० स्कूल, जहानाबाद के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,20,00,000/- (रूपये एक करोड़ बीस लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1017(1), दिनांक-30.11.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ए०एन०एम० स्कूल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा एवं जी०एन०एम० स्कूल, जहानाबाद के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,20,00,000/- (रूपये एक करोड़ बीस लाख) मात्र (अनुलग्नक-1 के अनुरूप) के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210-05-105-0012 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में उपबधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी, संबधित प्रमडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17/04/1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/MCH -35-22/2025 के पृष्ठ-41/टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव
Kum

ज्ञापांक:- 7/MCH-35-22/2025-.....131(7B) /स्वा0, पटना, दिनांक:-18/03/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी प्राचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/3/26
सरकार के अपर सचिव
Mush

सरकार के अपर अधिव
13/12/2024

(कपड़े एक करवाई वीस लाख) मात्र

13/12/2024

क्रम	जिला का नाम	आवृत्त राशि (कपड़े में)
1	पुणनपुरम स्कूल, उदालकेश्वरनाला, मधुपुरा	1,00,00,000
2	जी.एन.एम. स्कूल, जहानाबाद	20,00,000
	कुल-	1,20,00,000

विभिन्न सरकारी पुनरुत्थान/वर्गीकरण/जी.एन.एम. संस्थानों के विभिन्न परियोजनाओं में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वर्गीकरण के सुगमता हेतु आवृत्त की जाने वाली राशि-

अनुलग्नक-1